माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

3. अनुमानित विकास दर ।

4. आधार वर्ष ।

5. आधार वर्ष राजस्व ।

6. किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व ।

7. प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना ।

8. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

9. विवरणियां, संदाय और प्रतिदाय ।

10. उपकर के आगमों का निधि में जमा करना ।

11. उपकर से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध ।

12. नियम बनाने की शक्ति ।

13. संसद् के समक्ष नियमों का रखा जाना ।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची ।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 15)

[12 अप्रैल, 2017]

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के अनुसरण में माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के मद्दे उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों हेतु प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केन्द्रीय कर" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ग) "उपकर" से धारा 8 के अधीन उद्गृहीत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर अभिप्रेत है;

(घ) "प्रतिकर" से धारा 7 के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर के रूप में यथा अवधारित कोई रकम अभिप्रेत है;

(ङ) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के उपबन्धों के अधीन गठित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "निधि" से धारा 10 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(छ) किसी कराधेय व्यक्ति के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) उसे किए गए मालों या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित उपकर;

(ii) मालों के आयात पर प्रभारित उपकर और इसके अन्तर्गत प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदेय उपकर भी है;

(ज) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(झ) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "अनुमानित विकास दर" से धारा 3 के अनुसार संक्रमणकालीन अवधि के लिए विकास की अनुमानित दर अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य" से,—

(i) धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य अभिप्रेत है; और

(ii) धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य कर" से अपने-अपने राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत राज्य माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ण) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संबद्ध राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है;

(त) "कराधेय पूर्ति" से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन उपकर से प्रभार्य है;

(थ) किसी राज्य के सम्बन्ध में "संक्रमण तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको संबद्ध राज्य में राज्य माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होता है;

(द) "संक्रमण अवधि" से संक्रमण तारीख से पांच वर्ष की अवधि अभिप्रेत है; और

(ध) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में क्रमश: उनका है ।

3. अनुमानित विकास दर—संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की अनुमानित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

4. आधार वर्ष—संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में संदेय प्रतिकर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाएगा ।

5. आधार वर्ष राजस्व—(1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा आधार वर्ष के दौरान, संबद्ध राज्य या संघ द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे संगृहीत राजस्व और क्रमिक राज्य या संघ द्वारा अधिरोपित निम्नलिखित करों, जिन्हें माल और सेवा कर में सम्मिलित कर लिया गया है, के सम्बन्ध में शुद्ध प्रतिदायों का योग होगा, अर्थात्:—

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रारम्भ से पूर्व,—

(क) मूल्य वर्धित कर, विक्रय कर, क्रय कर, संकर्म संविदा पर संगृहीत कर या संबद्ध राज्य द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत कोई अन्य कर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय विक्रय कर;

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 52 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्गृहीत प्रवेश कर, चुंगी कर, स्थानीय निकाय कर या कोई अन्य कर;

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत भोग-विलास की वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, दांव लगाने और जुआ खेलने पर कर, या कोई अन्य कर;

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 55 के अधीन सम्बद्ध राज्य द्वारा उद्गृहीत विज्ञापन पर कर या कोई अन्य कर;

(च) संविधान के तत्कालीन अनुच्छेद 268 के अधीन औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर संघ द्वारा उद्गृहीत किन्तु सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा संगृहीत और प्रतिधारित उत्पाद-शुल्क;

(छ) उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के साथ पठित प्रविष्टि 66 के अधीन उद्गृहीण कोई उपकर या अधिभार या फीस:

परन्तु निम्नलिखित करों के अधीन, किसी राज्य में आधार वर्ष के दौरान, संगृहीत राजस्व, शुद्ध प्रतिदायों को उस राज्य के लिए आधार वर्ष राजस्व की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 54 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कोई कर;

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर उद्गृहीत कर;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कच्चे पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाईन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के विक्रय या क्रय पर अधिरोपित कोई उपकर;

(घ) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबन्धों के प्रवृत्त होने से पूर्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की तत्कालीन प्रविष्टि 62 के अधीन अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा उद्गृहीत, किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत मनोरंजन कर ।

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य* के सम्बन्ध में, आधार वर्ष राजस्व में आधार वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के विक्रय पर संगृहीत कर की रकम सम्मिलित होगी ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे विनिर्दिष्ट करों के सम्बन्ध में, राज्य में औद्योगिक विनिधान का संवर्धन करने के लिए उक्त राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों या परिहार के कारण छोड़ दिए गए राजस्व की रकम ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिनियम, जिनके अधीन विनिर्दिष्ट कर, माल और सेवा कर में सम्मिलित किए गए हैं, वे होंगे, जो अधिसूचित किए जाएं ।

(5) आधार वर्ष राजस्व की संगणना, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित उस वर्ष में संगृहीत राजस्व के आंकड़ों और दिए गए शुद्ध प्रतिदायों के आधार पर उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार की जाएगी ।

(6) किसी राज्य के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में उल्लिखित राजस्व का कोई भाग, सम्बन्धित राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा ।

6. किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व—राज्य में किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि-दर को लागू करके संगणित किया जाएगा ।

दृष्टांत—यदि किसी सम्बद्ध राज्य के लिए 2015-16 के लिए धारा 5 के अनुसार संगणित आधार वर्ष राजस्व एक सौ रुपए है तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व निम्नानुसार होगा:—

2018-19 के लिए **अनुमानित राजस्व** = $100(1+14/100)^3$

7. प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संक्रमण अवधि के दौरान, किसी राज्य को संदेय होगा ।

(2) राज्य को संदेय प्रतिकर प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से संगणित और जारी किया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से संगणित किया जाएगा:

परन्तु यदि, संगृहीत राजस्व के संपरीक्षित आकंड़ों के अनुसार, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को प्रतिकर के रूप में कोई अतिरिक्त रकम जारी कर दी है तो इस प्रकार जारी की गई रकम पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे राज्य को संदेय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित की जाएगी ।

(3) किसी राज्य को संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा अनुमानित राजस्व, जो माल और सेवा कर के अभाव में किसी राज्य को प्रोद्भूत हुआ हो, धारा 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा ;

(ख) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संगृहीत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा—

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन उक्त राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय;

(ii) उस राज्य को प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर; और

---

* इस अधिनियम को अधिसूचना सं०का०आ० 3912(अ) तारीख 30 अक्तूबर, 2019 द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया ।

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, क्रमिक राज्य द्वारा उद्गृहीत करों के मद्दे करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में संदेय कुल प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर होगा ।

(4) संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की संगणना उक्त अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अनुमानित राजस्व, जो क्रमिक वित्तीय वर्ष की सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक माल और सेवा कर के अभाव में राज्य द्वारा उपार्जित किया गया होता, धारा 6 के अनुसार, संगणित संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित राजस्व की प्रतिशतता के रूप में आनुपातिक आधार पर संगणित किया जाएगा ।

दृष्टांत—यदि किसी वर्ष के लिए धारा 6 के अनुसार, संगृहीत अनुमानित राजस्व, एक सौ रुपए है तो ऐसे अनुमानित राजस्व, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दस मास की अवधि की समाप्ति तक उपार्जित किया जा सकता है, की संगणना करने का सूत्र, 100x(5/6)=83.33 रुपए होगा;

(ख) किसी राज्य द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक संगृहीत वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा—

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ii) [1][केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड] के प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर होगा; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, उक्त राज्य द्वारा उद्गृहीत करों का कोई भी संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर खण्ड (क) के अनुसार, सुसंगत अवधि की समाप्ति तक अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट उक्त अवधि में राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व में से संक्रमण अवधि के दौरान उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्व दो मास की अवधि की समाप्ति तक राज्य को संदत्त अनन्तिम प्रतिकर को घटा कर आए राजस्व के बीच का अन्तर ऐसा होगा ।

(5) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से संपरीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, संगणित राज्य को संदेय अन्तिम प्रतिकर की रकम और उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को जारी कुल अनन्तिम प्रतिकर रकम, के बीच अंतर की दशा में उसे पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य को प्रतिकर के जारी किए जाने के प्रति समायोजित किया जाएगा ।

(6) जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रतिकर जारी नहीं किया जाना है और यदि पूर्व वर्ष में किसी राज्य को कोई अतिरिक्त रकम जारी की गई है तो वहां यह रकम केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा वापस लौटा दी जाएगी और ऐसी रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधि में जमा की जाएगी ।

8. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण—(1) उस तारीख से, जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते हैं, पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो परिषद् की सिफारिश पर विहित की जाए, माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 में यथा उपबन्धित माल या सेवा या दोनों के राज्य के भीतर ऐसी पूर्तियों पर और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबन्धित माल या सेवाओं या दोनों के ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर उपकर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसी रीति में जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई उपकर, ऐसे किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने का विनिश्चय किया है की गई पूर्ति पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा ।

(2) उपकर, माल और सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर, जो अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, मूल्य, मात्रा के आधार पर अथवा ऐसे आधार पर ऐसी दर से जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित ऐसी दर से अधिक नहीं हो, जो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उद्गृहीत किया जाएगा:

परन्तु जहां उपकर, ऐसे प्रत्येक प्रदाय के लिए माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर उनके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है, वहां ऐसी प्रत्येक पूर्ति पर मूल्य, माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर की समस्त पूर्तियों और अन्तरराज्यिक पूर्तियों के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित किया जाएगा:

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और कि भारत में आयातित माल पर उपकर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उस बिन्दु पर, जहां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत किया जाता है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अवधारित मूल्य पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

9. विवरणियां, संदाय और प्रतिदाय—(1) माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करने वाला प्रत्येक कराधेय व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा संदेय उपकर की रकम का संदाय ऐसी रीति में करेगा;

(ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के साथ ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा; और

(ग) ऐसे संदत्त उपकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा,

जो विहित किया जाए ।

(2) विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और प्रतिदायों का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, फाइल किए जाने वाले प्ररूप के सिवाय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्य, माल या सेवाओं या दोनों की सभी कराधेय पूर्तियों पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

10. उपकर के आगमों का निधि में जमा करना—(1) धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के आगम और ऐसी अन्य रकम, जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, माल और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में ज्ञात गैर-व्यपगतीय निधि में जमा किए जाएंगे जो भारतीय लोक लेखा का भाग होंगे, और उनका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

(2) धारा 7 के अधीन राज्यों को संदेय समस्त रकम, निधि में से संदत्त की जाएगी ।

[1][(3) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसीसमय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में अनुपयोजित रह जाती है, पचास प्रतिशत, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केंद्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन दिए जानेवाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत, किंतु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केंद्र से और शेष पचास प्रतिशत राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा ।]

(4) निधि से सम्बन्धित लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निधि के लेखे उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

11. उपकर से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध—(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय, अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, जहां तक हो सके, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण, के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं:

परन्तु धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उपकर के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग उक्त धारा के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उक्त उपकर के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।

12. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसी शर्तें, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की गई थी;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए क्रमिक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किए गए राजस्वों का कोई भाग धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपण की अवधि;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना है ।

13. संसद् के समक्ष नियमों का रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से [1][पांच वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 8(2) देखिए]

1. इस अनुसूची में "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" के प्रतिनिर्देश, जहां-जहां वे आते हैं का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय में क्रमश: उनका है ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,—

क्र० सं०	माल या सेवाओं की पूर्ति का वर्णन	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं की पूर्ति	वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पान मसाला ।	2106 90 20	एक सौ पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
2.	तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, जिसके अन्तर्गत तम्बाकू उत्पाद भी हैं ।	24	चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या उसका समुच्चय, किन्तु मूल्यानुसार चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत से अधिक नहीं ।
3.	कोयला, इष्टिकाओं, अण्डाभों और कोयला, लिग्नाइट, चाहे संपिण्डित है या नहीं, जिसके अन्तर्गत जैट नहीं है, पीट (जिसके अन्तर्गत पीट तृणशैय्या भी है) चाहे संपिण्डित है या नहीं, से विनिर्मित वैसे ही ठोस ईंधन ।	2701, 2702 या 2703	चार सौ रुपए प्रति टन ।
4.	वातित जल ।	2202 10 10	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत ।

[1] 2020 के अधिनियम सं० 12 की धारा 140 द्वारा "तीन वर्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1)	(2)	(3)	(4)
[1][4क.	चालक सहित तेरह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान	8702 10, 8702 20, 8702 30 या 8702 90	मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत ।]
5.	व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखत: अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अन्तर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ प्रतियोगिता वाली कार भी हैं ।	8703	[2][मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत ।]
6.	कोई अन्य पूर्ति ।		मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत ।

———

[1] 2018 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा "पन्द्रह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।